

15/5/2018
Rohit
Rohit

कतहपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
लोक अदालत
पीठाधीन अधिकारी

दिनांक : 15.05.2018
कमांक : 2623/215-9/10
प्रतिनिधि :-
1. तहसीलदार, कतहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. ग्रामी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

कतहपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
लोक अदालत
पीठाधीन अधिकारी
()

क्र.सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	कतहपुर	145	वर्तमान प्रविष्टि 145	शुद्ध प्रविष्टि 145

ग्रामी के "खता कुकरी" प्रथम-पत्र एवं पत्रावली
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार
पर राजस्वमान सू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम
तहसील कतहपुर व जिला की जमाबन्दी समतल
खता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

---आदेश:--

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कतहपुर
(पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत/कैम कोर्टी) कैम
राजस्थान सरकार

2018/00072